

आदेश

क्रमांक **951** / गोपनीय / 2020
दो-3-250 / 57 (भाग-39)

जबलपुर, दिनांक **26** सितम्बर, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें उनके नाम के साथ अंकित, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 2614 / 2020 / 21-ब(एक), दिनांक 16-09-2020 (प्रति संलग्न) द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर), वर्ष 2016 के लिये विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर काल्पनिक रूप से वरिष्ठता क्रम में श्री ऋषभ डोनेल सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 95 के नीचे एवं श्री जगमोहन सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 97 के ऊपर रखते हुये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमन सुलिया (मेरिट क्रमांक 96) (आदेश फा. क्रमांक 2614 / 2020 / 21-ब(एक), दिनांक 16-09-2020)	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।

टिप्पणी :-

- (1) श्री अमन सुलिया की वरिष्ठता, वरिष्ठता क्रम में श्री ऋषभ डोनेल सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 95 के नीचे एवं श्री जगमोहन सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 97 के ऊपर रहेगी।
- (2) श्री अमन सुलिया को काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से वास्तविक नियुक्ति के मध्य की अवधि तक के वेतन भत्ते व अन्य लाभ देय नहीं होंगे।
- (3) रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

PRA
* (प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
(सतर्कता)

प्रतिलिपि -

1. उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6 को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल - 462004 को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002 को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश - ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. **श्री अमन सुलिया पुत्र श्री निर्भय सिंह सुलिया, निवासी-सी/एचडी-24, एमआर-10, थाना सुखलिया, जिला इंदौर, पिन - 452010** को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना के स्थान पर आदेश प्राप्त के **15 दिवस के अंदर** निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें तथा पदभार ग्रहण संबंधी सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से तत्काल उच्च न्यायालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **झाबुआ** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया नवनियुक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन की प्रति इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें। वे कृपया संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीश को रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 670/गोपनीय/2011, दिनांक 30-04-2011 के साथ संलग्न प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त न्यायाधीश उनके जिला न्यायाधीशों के निर्देशानुसार जिले में पदस्थ विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों में उनके साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सिवाय जबकि वे मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी तिथि की सूचना अलग से प्रेषित की जावेगी।

7. संभागीय आयुक्त _____ जिलाध्यक्ष _____ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जनरल पूल का आवास गृह न्यायिक अधिकारी के आधिपत्य में होने की दशा में उक्त आवासग्रह का आवंटन प्रचलित परिपाटी के अनुसार अर्हता प्राप्त न्यायिक अधिकारी को करने का कष्ट करें। और ऐसे आवंटन की सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देने का कष्ट करें।
8. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

*(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
 प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
 (सतर्कता)
 84



मध्यप्रदेश शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग
आदेश

भोपाल, दिनांक 16/09/2020

फा. क्रमांक 2614/2020/21-ब(एक) (मेरिट क्रमांक 96), राज्य शासन श्री अमन सुलिया पुत्र श्री निर्भय सिंह सुलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, वर्ष 2016 के लिये विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर काल्पनिक रूप से वरिष्ठता क्रम में श्री ऋषभ डोनेल सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 95 के नीचे एवं श्री जगमोहन सिंह, वरिष्ठता क्रमांक 97 के ऊपर रखते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है। काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से वास्तविक नियुक्ति के मध्य की अवधि तक के वेतन भत्ते व अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 दिसम्बर, 1991 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा. क्रमांक 2614/2020/21-ब(एक),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16/09/2020


1. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 315/सिविल जज/परीक्षा/2016 दिनांक 11.08.2020 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कि, कृपया उक्त आदेश के अनुसरण में अभ्यर्थी को पदस्थापना की सूचना सीधे देकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
21 SEP 2020
Reg. No. 2686
Receipt Clerk
High Court Jabalpur

G-21
21/9/20

2. श्री अमन सुलिया पुत्र श्री निर्भय सिंह सुलिया निवासी- सी/एचडी-24, एमआर-10, थाना सुखलिया, जिला इन्दौर, पिन- 452010 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि:-

- (1) वह पदस्थापना संबंधी आदेश प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में निश्चित रूप से पदभार ग्रहण करें, अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभावहीन होगा।
- (2) वह पदस्थापना के स्थान में जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) तथा शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियां सक्षम अधिकारी के समक्ष सेवापुस्तिका में संलग्न किये जाने हेतु प्रस्तुत करें तथा मूल प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण पश्चात वापस प्राप्त करें,
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।


16-09-2020
(रमेश चंद्र सिंह बिसेन)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग